FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

खेमाराम बनाम धूराराम वगैरह

केस्म मुकदमा रा० आ० 59 नं. 92/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/06/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली दिनांक 23/06/2020 को बहस हेतु पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:43:01 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन / 2020 /
आवेदन संख्या –92 / 20
प्रार्थी
श्री खेमाराम पुत्र
नोरा 6, जाति
निवासी–
तहसी

23/06/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु.
प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति बहस सुनी गई।
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व
विपक्षीगणों के खातेदारी खेत नेड़ा मेड़ कायड़ा
है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी
मेड़ व धोरा बने हुए थे जो वर्तमान में विपक्षियों
की वजह से मिटा दिये गये हैं। जिस कारण प्रार्थी को
अपने खेत के सेढ़ो का सही ज्ञान नहीं है व
रहा है। इस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य
सेढ़ो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है।
इस कारण प्रार्थी को अपने खेत के चारों ओर
पक्के नेयमत स्थापित करवाना आवश्यक है।
इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया
जाकर नेयमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार जायल को कमिश्नर व सम्बन्धित
भू. अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या
सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की
पक्की नेयमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर
करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम
हो. दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:43:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क / आवेदन / 2020 / 429 दिनांकः– 23/06/2020

जस्व आवेदन संख्या –92 / 2020

प्रार्थी बनाम **विप्रार्थीगण**

श्री खेमाराम पुत्र किस्तुराराम वगैरा 6, जाति–जाट, निवासी–रोजियानाडी, माधासर तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री भुराराम पुत्र बगताराम वगैरा 76 निवासी–रोजियानाडी, माधासर तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रोजियानाडी पटवार हल्का माधासर, तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 279, 275 रकबा क्रमशः 10.4685, 14.8371 हैक्टेयर व मौजा आहोणियों बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर के खेत खसरा नम्बर 734 / 288, 288, 284 रकबा क्रमशः 0.2023, 0. 9465, 3.2198 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 23/06/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 430–34

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेमाराम पुत्र किस्तुराराम वगैरा 6।
4. विप्रार्थीगण श्री भुराराम पुत्र बगताराम वगैरा 76।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:43:01 IST
Reason: SelfAttested